

UPSH240029622021



न्यायालय सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0 तिलहर, शाहजहाँपुर।

वाद संख्या 1587/2021

राज्य बनाम गुड्डू।

मु0अ0सं0-30/2021

धारा-13 जी0 एक्ट।

थाना-तिलहर, जिला शाहजहाँपुर।

दिनांक 09.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त गुड्डू अदालत में हाजिर आया। अभियुक्त की ओर से स्वेच्छया जुर्म इकबाल किये जाने का कथन किया गया। अभियुक्त के बयान जुर्म संस्वीकृति अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक अपना जुर्म को स्वीकार किया है।

अभियुक्त को स्वेच्छया जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लगाये गये आरोप धारा 13 जी एक्ट में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुना जायेगा।

दिनांक-09.01.2025

(मनोज कुमार यादव-द्वितीय)  
सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर,  
शाहजहाँपुर।

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

अभियुक्त द्वारा स्वयं अपना जुर्म को स्वीकार किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त को निम्नांकित अर्थदण्ड/न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया जाना समीचीन होगा।

### आदेश

अभियुक्त गुड्डू को अन्तर्गत धारा 13 जी एक्ट के अपराध का दोषी पाये जाने पर को मुवलिग 200/-रुपये के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 दिन का साधारण कारावास की सजा भुगतना होगी।

दिनांक 09.01.2025

(मनोज कुमार यादव-द्वितीय)  
सिविल जज(जू0डि0)/जे0एम0, तिलहर,  
शाहजहाँपुर।

J.O.CODE-UP 3566